न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-51RAAJodhpur2024-09RTA223 Badrinarayan Vs rewatram etc

बद्रीनारायण पुत्र श्री लिछमी पत्नी रामजीराम, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला फलोदी, आज मुकामः जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रेवतराम पुत्र खेमूराम
2. अणच पत्नी खेमुराम
3. खेमूराम पुत्र राजजीराम के कायम मुकामः–
   3.1. मदनलाल पुत्र खेमुराम
   3.2. सुरेष पुत्र खेमुराम
   3.3. मेघाराम पुत्र खेमुराम
   3.4. सुनिता पुत्री खेमुराम पत्नी हीरालाल
   3.5. कमला पुत्री खेमुराम पत्नी गेमराराम
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण– ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
4. पेमाराम पुत्र रामजीराम जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
5. पेमी पत्नी टीकूराम, पुत्री लिछमी, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
6. इन्दा पत्नी किषनाराम, पुत्री लिछमी, जाति मेघवाल, निवासी– सुखमण्डला, तहसील देचू, जिला फलोदी।
7. भरनी पत्नी भोमाराम, पुत्री लिछमी, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम जालोड़ा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
8. श्रीमान तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 सहायक
कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 34/2022 रेवतराम
बनाम अणची इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 08 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/2022 अनवान रेवतराम बनाम अणची इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम छीला, तहसील लोहावट के खेत मूल खसरा नम्बर 39 रकबा 2.0720 हैक्टेयर के संबंध में धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 मई 2023 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्से का खातेदार काष्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा था तथा उसी अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की मांग की थी, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब को दरकिनार करते हुए सिर्फ वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का आदेष पारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का नाम जमाबंदी में संयुक्त रूप से दर्ज है, इसलिए उसका हिस्सा अलग किया जाना आवष्यक था। तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव भी संयुक्त रूप से तैयार कर भिजवाया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि पक्षकारान् के मध्य हिस्सों को लेकर विवाद है। पक्षकारान् में केवल विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव के इंतजार में विचाराधीन चल रही थी। दिनांक 12.01.2024 को विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट के हिस्से का विभाजन हीं नहीं किया गया, तब अपीलांट को जानकारी हुई कि उसके जवाब के अनुसार निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं शेष रहा। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जमाबंदी में दर्ज हिस्सों अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी पर 1/12 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा काष्त है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा उक्तानुसार संषोधित डिक्री जारी की जाती है तथा सभी पक्षकारान् के हिस्से अलग किये जाते है तो रेस्पोडेंट संख्या एक को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 39 रकबा 2.0720 हैक्टेयर ग्राम छीला में वादी एवं प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देष तहसीलदार लोहावट को दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट की माता लिछमी के नाम दर्ज के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि उसका वादग्रस्त आराजी पर 1/12 हिस्से पर कब्जा काष्त है तथा उसी अनुसार विभाजन में भूमि उसके हिस्से में रखी जावे। इस संबंध में अपीलांट स्वयं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे कुल 6 भाई–बहिन है। कानूनन बहनों के हिस्से को बिना किसी सक्षम दस्तावेज के अपीलांट के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। फिर भी न्याय हित में मृतक खातेदार अणछी एवं खेमूराम के वारिसान् के हिस्से स्पष्ट करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को संषोधित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारों के हिस्से का विभाजन न किया जाकर केवल वादी के हिस्से का ही विभाजन किया गया है। लिहाजा इस संबंध में भी तहसीलदार लोहावट को निर्देषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 34/2022 अनवान रेवतराम बनाम अणची इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 को उक्तानुसार संषोधित किया जाता है कि राजस्व ग्राम छीला के खसरा नंबर 39 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण(प्रतिवादी संख्या दो खेमूराम एवं प्रतिवादी संख्या 3 लिछमी के वारिसानों का भी हिस्सा अलग करते हुए) के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लोहावट को निर्देषित किया जाता है कि वह राजस्थान काष्तकारी अधिनियम1955(राजस्व मण्डल) नियम 18

से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्षकारान् की उपस्थिति विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेष करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर